न्यायालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत एवं विहित प्राधिकारी बुरहानपुर

प्रकरण क्रमांक 18/सी–145(धारा 92)/2017–18 दिनांक 12.03.2018

जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केन्द्र सर्व शिक्षा अभियान बुरहानपुर – आवेदक

विरुध्द

1. श्री रामकिसन ठाकुर .... अनावेदकगण
   तत्का.सरपंच,
2. श्री जितेन्द्रसिंह ठाकुर
   तत्का. सचिव,
   ग्राम पंचायत तुकईथड

//आदेश//
(पारित आदेश दिनांक 21/8/18)

जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केन्द्र सर्व शिक्षा अभियान बुरहानपुर के पत्र क्रमांक पत्र क्रमांक/1379/जि.शि.के./2014 दिनांक 20.10.2014 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नेपानगर को प्रतिवेदन प्रस्तुत कर म.प्र. पंचायतराज ग्राम स्वराज अधिनियम –1993 की धारा 40 के तहत प्रकरण दर्ज कराने हेतु निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रतिवेदन अनुसार अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नेपानगर द्वारा म.प्र. पंचायतराज ग्राम स्वराज अधिनियम –1993 की धारा 40 के तहत प्रकरण कमांक 37 पर दिनांक 28.10.2014 को दर्ज किया गया। दर्ज प्रकरण पर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नेपानगर द्वारा दिनांक 24.04.2015 को पारित आदेश में श्री रामकिसन ठाकुर सरपंच ग्राम पंचायत तुकईथड को कर्तव्य निर्वहन में अवाचार का दोषी पाये जाने से पद से पृथक किया गया परन्तु वसूली योग्य राशि का कोई उल्लेख ना किये जाने से जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केन्द्र सर्व शिक्षा अभियान बुरहानपुर के पत्र कमांक पत्र कमांक/218/जि.शि.के./2016 दिनांक 20.05.2016 द्वारा पुनः प्रतिवेदन प्रस्तुत कर ग्राम पंचायत तुकईथड में वर्ष 2010–11 में स्वीकृत 02 अतिक्ति कक्ष, वर्ष 2011–12 में स्वीकृत 01 प्रधान पाठक कक्ष, निर्माण कार्य हेतु प्रदाय राशि 504900/–एवं 258720/– में से कमशः 492100/–रू एवं 70000/–रू. का आहरण किया गया, जिसका कमशः मुल्यांकन 404577/–रू. एवं अन्य कार्य का 0/–रू मुल्यांकन प्राप्त हुआ। निर्माण एजेंसी द्वारा कमशः 87523/–रू एवं 70000/–रू. राशि का अधिक आहरण कर राशि का दुरूपयोग किया गया बताकर अधिक आहरित राशि वसूली हेतु धारा 92 के तहत कार्यवाही करने हेतु अनुरोध किया गया।

उक्त के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नेपानगर द्वारा दिनांक 13.10.2013 को जमानती वारंट जारी किया गया। उक्त के संबंध में अनावेदक श्री जितेन्द्रसिंह ठाकुर तत्का. सचिव, ग्राम पंचायत तुकईथड द्वारा न्यायालय अपर कलेक्टर बुरहानपुर के समक्ष अपील प्रकरण कमांक 2 वर्ष 2016–17 दर्ज कराया गया। दर्ज प्रकरण के संबंध में माननीय न्यायालय अपर कलेक्टर बुरहानपुर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नेपानगर द्वारा दिनांक 13.10.2016 को जारी आदेश निरस्त कर पुनरीक्षण याचिका आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रकरण के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी सूक्ष्मता से जांच कर राशि जमा नहीं की है तो वसूली की कार्यवाही की जावे।

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नेपानगर के पत्र कमांक/1332/क/री–1/2017 दिनांक 09.05.2017 द्वारा प्रकरण जिला पंचायत में अंतरित किया गया।

प्रकरण के संबंध में जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केन्द्र सर्व शिक्षा अभियान बुरहानपुर के पत्र कमांक पत्र कमांक/3385/जि.शि.के./2014 दिनांक 10.07.2018 द्वारा प्रयतन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत प्रतिवेदन में ग्राम पंचायत तुकईथड में वर्ष 2010–11 में स्वीकृत 02 अतिरिक्त कक्ष हेतु प्रदाय राशि 492100/–रू पंचायत द्वारा आहरण की गई, उक्त राशि के विरुद्ध 404577/–रू. का मूल्यांकन प्राप्त हुआ है। पंचायत द्वारा 87523/–रू का अधिक आहरण किया गया। पूर्व सरपंच श्री रामकिसन ठाकुर द्वारा जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केन्द्र सर्व

1

शिक्षा अभियान बुरहानपुर के पत्र क्रमांक/3568/जि.शि.के./2018 दिनांक 21.08.2018 को प्रस्तुत किया है, जिसके साथ राशि रू. 43762/–रू. जमा करने की बैंक रसीद क्रमांक 7513/दिनांक 21.08.2018 को प्रस्तुत की है। अतः पूर्व सरपंच से राशि वसूली शेष नही है।

वर्ष 2011–12 में स्वीकृत 01 प्रधान पाठक कक्ष, निर्माण कार्य हेतु प्रदाय राशि 258720/– में से पंचायत द्वारा 70000/–रू. का आहरण किया गया। आहरित राशि से कोई उपयोग ना कर वित्तीय अनियमितता की गई। उक्त राशि स्वर्गीय श्री हेमन्त पटेल तत्का. सचिव ग्राम पंचायत तुकईथड एवं तत्का. सरपंच श्री रामकिसन ठाकुर के समय आहरित की गई।

श्री रामकिसन ठाकुर तत्का. सरपंच ग्राम पंचायत तुकईथड द्वारा उक्त राशि में से 35000/–रू दिनांक 17.07.2018 को जिला सर्व शिक्षा अभियान बुरहानपुर के खाते में जमा की गई। शेष राशि 35000/–रू. वसूली योग्य शेष है। उक्त राशि के संबंध में स्वर्गीय श्री हेमन्त पटेल तत्का. सचिव ग्राम पंचायत तुकईथड के वारिशान से तहसीलदार खकनार को वसूली हेतु आर.आर.सी. जारी करें।

वर्ष 2010–11 में स्वीकृत 02 अतिरिक्त कक्ष, हेतु प्रदाय राशि 492100/–रू. पंचायत द्वारा आहरण की गई, उक्त राशि के विरूद्ध 404577/–रू. का मूल्यांकन प्राप्त हुआ है। पंचायत द्वारा 87523/–रू अधिक आहरित की गई राशि में से श्री जितेन्द्रसिंह ठाकुर तत्का. सचिव ग्राम पंचायत तुकईथड राशि 43762/–रू. आदेश जारी होने के 01 सप्ताह में जिला सर्व शिक्षा अभियान बुरहानपुर में जमा करावें। राशि जमा ना कराने पर मध्यप्रदेश पंचायतराज ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 92 (2) के तहत गिरफ्तारी वारंट जारी किया जावेगा।

आदेश खुले न्यायालय में पारित एवं उद्घोषित किया गया।

21/8/18

(शीलेन्द्र सिंह)
आई.ए.एस.
विहित प्राधिकारी
एवं
अपर कलेक्टर (विकास)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत बुरहानपुर

क्रमांक 2669 दि 21/08/18

प्रतिलिपि,

1. जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केन्द्र सर्व शिक्षा अभियान बुरहानपुर
2. जिला पंचायतराज अधिकारी, जिला पंचायत बुरहानपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत खकनार की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

विहित प्राधिकारी
एवं
अपर कलेक्टर(विकास)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत बुरहानपुर